भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
<u>अतारांकित प्रश्न सं.91</u>
(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/04 अग्रहायण, 1946(शक) को दिया जाना है)

बड़ी कंपनियों द्वारा एसएमई को भुगतान

91. **श्री अरुण नेहरू:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को पता है कि बड़ी कंपनियों द्वारा एसएमई को भुगतान के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित करने से एसएमई को कारोबार में नुकसान हो रहा है; और
(ख) सरकार द्वारा एसएमई को भुगतान के मुद्दे का समाधान करने तथा उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) एवं (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 15 में यह प्रावधान है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान लिखित करार के अनुसार समय के भीतर होगा, जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कोई लिखित समझौता नहीं है, तो यह प्रावधान किया गया है कि भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।यह प्रावधान एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के दिनांक 06.06.2006 से लागू होने के समय से है।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत क्रेताओं द्वारा विलंब से किए गए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के भुगतान के मामलों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त उपाय एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 और धारा 23 में दिए गए हैं। **दिल्ली**, **जम्मू और कश्मीर**, **कर्नाटक**, **केरल**, **महाराष्ट्र**, **पंजाब**, **राजस्थान**, **तमिलनाडु**, **तेलंगाना**, **उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक से अधिक एमएसईएफसी की स्थापना के साथ**, **अब तक** 159 **एमएसईएफसी की स्थापना की जा चुकी है।**

वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बकाया देय राशि की निगरानी और शिकायतों को दर्ज करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने समाधान पोर्टल लॉन्च किया और केंद्रीय मंत्रालयों/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया राशि और मासिक भुगतान की रिपोर्ट करने के लिए समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल बनाया।

भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और 250 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे खुद को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) में शामिल करें, जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो कई वित्तदाताओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है।

जो कंपनियां एमएसई से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करती हैं और जिनका एमएसई को भुगतान माल या सेवाओं की स्वीकृति की तारीख या मानी गई स्वीकृति की तारीख से 45 दिनों से अधिक की समयावधि में किया गया है, उन्हें भी बकाया भुगतान की राशि और देरी के कारणों को बताते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को छमाही विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

वित्त अधिनियम 2023 के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43ख में खंड (ज) जोडा गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि को केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। यदि भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के तहत अधिदेशित समय के भीतर किया जाता है तो बढ़ोतरी के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।

कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संघों ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल बजट में शुरू किए गए हस्तक्षेप का समर्थन किया है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए फायदेमंद है, जो विलंबित भुगतान, नकदी प्रवाह और वित्तीय बाधाओं के कारण व्यवसाय बंद होने के जोखिम के मुद्दे से जूझ रहे थे।

उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समय पर भुगतान प्रदान करना है।